

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।

पत्रावली वाद्वे साहपवादी दिनांक 18.11.22
को पेश है। ✓

11
22 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।

रक रक कर तीन बार आवाज दिलाई
गई। न तो वकील उप० न ही वादी

उप०। ऐसी स्थिति में न्यायालय उक्त

वाद को आगे अंतरकार रखना उचित

नहीं समझता है। अतः वाद को अहम

दाजरी अहम पैरवी में खारिज दिया

जाता है। पत्रावली अमल शुमाट ऐक्ट

नम्बर 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित अन्त

दिनांक 18.11.22 को लरे इजलास हुआ।

गया। ✓